भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1040
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वायनाड भूस्खलन

1040 श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वायनाड में हुए सबसे घातक भूस्खलन के कारण मरने वाले, घायल होने वाले, स्थायी रुप से विकलांग होने वाले तथा लापता लोगों की संख्या कितनी है;
(ख) मृतकों तथा घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे के लिए कितनी राशि व्यय हुई है, तथा लंबित मुआवजों का ब्यौरा क्या है;
(ग) वायनाड भूस्खलन से प्रभावित कितने लोगों को आज तक स्थायी रुप से तथा अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है;
(घ) क्या सरकार ने वायनाड भूस्खलन से प्रभावित पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केरल को कोई सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत केरल द्वारा कितनी धनराशि की माँग की गई और कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): इस मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, केरल सरकार ने 17 अगस्त, 2024 के अपने ज्ञापन में वायनाड में भूस्खलन के कारण 359 लोगों की मृत्यु/लापता, 95 लोगों के 40% से अधिक विकलांग होने, 378 घायलों के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी थी।

दिनांक 04.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1040

(ख) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए।

एसडीआरएफ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केरल राज्य सरकार को 388.00 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 96.80 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31.07.2024 को जारी की गई। 01.10.2024 को राज्य को अग्रिम रूप से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के 145.60 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई। इसके अलावा, महालेखाकार, केरल ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में 782.99 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

इसके अलावा, केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, केरल राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना केंद्र सरकार द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए 02.08.2024 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वायनाड में आई वर्तमान आपदा को आईएमसीटी द्वारा 'गंभीर प्रकृति' का माना गया है। राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2024 को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें तत्काल प्रकृति की अस्थायी राहत सहायता प्रदान करने के लिए एनडीआरएफ के तहत 214.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी गई, जिसमें अनुमानित मलबे को हटाने के लिए 36 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिस पर अभी खर्च होना था। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, उच्च

दिनांक 04.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1040

स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 16 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 2024 के भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ के लिए 153.47 करोड़ रुपये (एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन) की राशि, बचाव और राहत के लिए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टरों की सेवा का उपयोग करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक रूप में हवाई बिलों के लिए सहायता और मलबे की सफाई के लिए वास्तविक व्यय, की मंजूरी दी।

इसके अलावा, राज्य ने आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) अभ्यास आयोजित किया, जिसमें रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 2219.033 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया और राज्य सरकार की रिपोर्ट 13 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है और रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****